

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड़

राजस्व प्रकरण सं.

अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान सरकार

श्री दुर्गा

पुत्र श्री राजेश

जरिये पटवारी हल्का

कौम राजेश

निवासी

1050 डाइरिक्ट

तहसील गडरारोड़ जिला

बाड़मेर

“निर्णय”

दिनांक 13/4/18

पत्रावली आज बमुकाम..... में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 1050 डाइरिक्ट ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने मौका 1050 के खसरा नं. 651 रकबा बीघा 0.03 में से..... बीघा किस्म 0.03 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन कराने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान दर रुपये पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये पूर्णांक में 50 रुपये 5000 अक्षरे रु. मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू.अ. वृत 1050 को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर फसल निलामी फर्द वास्ते अनुपादनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे।

पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आ.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 13/4/18 को सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना 50 फसल नि.
कुल योग 5000 रजि.के पृष्ठ सं. 03
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया।

तहसीलदार गडरारोड़ जिला-बाड़मेर

तहसीलदार गडरारोड़
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार
गडरारोड़